

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिद्ध

परिशिद्ध 'पैसठ'

[8/3/2018]

नमस्कार विभि संग्रह		
(2) नमस्कार की दराएँ --		
(क) अध्यात्म	: रु. 2400/- पारिश्रमिक तथा	
(ख) उपाध्यात्म	: रु. 1100/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह	
(ग) पार्षद (वेदन को छोड़कर)	: रुपये 1400/- पारिश्रमिक प्रतिमाह	
(घ) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यात्म, उपाध्यात्म व पार्षद तथा सचिवित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यात्म द्वारा वार्ड समिति में नामनिर्दिष्ट किए गए मददस्व 120.00 रुपये बैठक की दर से, जो 360.00 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पारता नहीं होगी।		
4. परिषद शेष के बाहर यात्रा के लिए यात्रा तथा दैनिक भत्ता -- परिषद की अनुमति से, परिषद केवल से बाहर की गई यात्रा के लिए यात्रा के विचार साथानों तथा दैनिक भत्ते की पारता सिनानुसार होगा। यात्रा के संबंध में अन्य सभी विद्यु शासकीय सेवकों के लिए लगू मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम से विनियमित होगे।		
(1) यात्रा के साथानों की पात्रता	ऐसे की प्रथम श्रेणी, लातारुकूलित द्वितीय श्रेणी, स्कौलर कोच या चेयर कार, बस की उच्च श्रेणी।	
(2) दैनिक भत्ता	(एक) दैनिक भत्ता के ग्रामीणी कार्यालय, इंशॉर, रायपुर, खालिया, बबलपुर) तथा राज्य के बाहर अन्य नगरों के लिए रु. 45/- (दो) अन्य नगरों के लिए रु. 30/-	
परंतु ग्राम के बाहर यात्रा की स्थिति में ग्राम समकार की घूर्ण अनुमति आवश्यक होती है।		
5. इन नियमों के विवरण के संबंध में होने वाली किसी शंका या किसी अंतिम होगा।		
6. निरसन -- मध्यप्रदेश नगरपालिका (पारिदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1979 उत्तरायण समकार को संभित किया जावेगा और उस पर राज्य मरकार का किसी अंतिम होगा।		
निरस किये जाते हैं।		

नि. 1-3 मध्यप्रदेश नगरपालिका (पारिदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995 877

मध्यप्रदेश नगरपालिका (पारिदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम, 1995

(थाग 353 के अंतर्गत)

क्र. एक 7-4-95-अद्वारह-सीन, दिनांक 19 मई 1995 । - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 353 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदराग, मध्यप्रदेश में नगरपालिका परिषदों तथा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और पारिदों को देय पारिश्रमिक तथा भत्तों को विनियमित करने के आशय से नियमनुसार नियम बनाती है, अधिकृत-

नियम

1. संविधान नाम -- ये नियम मध्यप्रदेश नगरपालिका (पारिदों को पारिश्रमिक तथा भत्ता अधिकृत पारिश्रमिक तथा भत्ता) नियमों में जब तक संरक्षि में अन्तर्था अपेक्षिता न हो,

2. परिषाराएँ -- इन नियमों में जब तक संरक्षि में अन्तर्था अपेक्षिता न हो,

(1) "पार्षद" से अभियुक्त है, यथाविचित नगरपालिका परिषद या नार पंचायत,

(2) "पार्षद" से अभियुक्त है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 वार्ड यथाविचित पारिश्रमिक तथा भत्तों को विनियमित करने के आशय से नियमनुसार नियम बनाती है,

(3) "अपराध" से अभियुक्त है, यथाविचित नगरपालिका परिषद या नार पंचायत का अध्यक्ष,

(4) "उपाध्यक्ष" से अभियुक्त है, यथाविचित नगरपालिका परिषद या नार पंचायत का अध्यक्ष,

(5) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपराधप्रसिद्ध ग्रन्थों तथा अधिक्यतियों का वर्णी अध्य होगा जो उन्हें मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में दिया गया है।

2[3. पारिश्रमिक तथा दैनिक भत्ता -- प्रदेशक मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद तथा नार पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पारिदों को पारिश्रमिक तथा भैठकों के लिए दैनिक भत्ता नियन्त्रित करने पर देय होगा --

(1) नगरपालिका परिषदों की दराएँ --

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) पार्षद (दैनिक को छोड़कर)

(घ) परिषद तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा

तथा सचिवित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की दराएँ रुपये 195.00 रुपये प्रति बैठक की दर से, जो 375.00 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा, दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हककरा होगे।

अधिकारी
अधिकारी
अधिकारी
अधिकारी

नगरपालिका